Principal & Chief Executive Officer
Pt. Khushilal Sharma Government Ayurveda College and Institute, Bhopal ,
Madhya Pradesh
WEBSITE :www.klsgaci.edu.in

ई–निविदा प्रस्ताव

::पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, अन्तर्गत 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय हेतु कलेक्टर दरों पर आउटसोर्स के माध्यम से सेवाऐं प्राप्त करने हेतु ऐजेंसी के चयन हेतु निविदा आमंत्रण ::

बर्ष 2022–23

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. 0755–2970310

क्र0 / कय / 2022–23 / दिनांक

::पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, अन्तर्गत 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय हेतु कलेक्टर दरों पर आउटसोर्स के माध्यम से सेवाऐं प्राप्त करने हेतु ऐजेंसी के चयन हेतु निविदा आमंत्रण ::

पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय आयुर्वेद संस्थान,एवं सम्बद्व चिकित्सालयों हेतु कलेक्टर द्वारा निधार्रित दर पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कुशल / अर्द्धकुशल / अकुशल / अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर / सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष (परिशिष्ट''अ''अनुसार) स्टाफ (मानव संसाधन) उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2022–23 के लिये https://mptenders.gov.in के माध्यम से ई –निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा का विवरण संस्थान की बेवसाइट www.klsgaci.edu.in पर भी उपलब्ध है।

ई–निविदा प्रक्रिया विवरण

1	निविदा का विवरण	पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय आयुर्वेद संस्थान,एवं सम्बद्व चिकित्सालयों हेतु कुशल / अर्द्धकुशल / अकुशल / अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर / सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों (परिशिष्ट "अ" अनुसार) के विरुद्व मानव संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन क्रय हेतु उपलब्धता	शासकीय निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रू. 1500 / –(रू. एक हजार पांच सौ मात्र) है, जो कि निविदा की बेवसाइट https://mptenders.gov.in पर ई–पेमेन्ट के माध्यम से देय होगा।
3	ई–निविदा जारी की दिनाक एवं समय	07.10.2022
4	ई–निविदा क्रय करने की अंतिम दिनाक एवं समय	29.10.2022 दोपहर 02.00 बजे
5	प्री–बिड मीटिंग दिनाक	18.10.2022 महाविद्यालय सभा कक्ष में दोपहर 02.00 बजे
6	ई– निविदा जमा करने की अंतिम दिनाक एवं समय	29.10.2022 दोपहर 02.00 बजे
7	तकनीकी निविदा ऑन लाइन खोले जाने की दिनांक एवं समय	01.11.2022 दोपहर 02.30 बजे
8	वित्तीय निविदा ऑन लाइन खोले जाने की दिनांक एवं समय	03.11.2022 दोपहर 02.00 बजे

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. 0755–2970310

::पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, अन्तर्गत 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय हेतु कलेक्टर दरों पर आउटसोर्स के माध्यम से सेवाऐं प्राप्त करने हेतु ऐजेंसी के चयन हेतु निविदा आमंत्रण ::

:: ई–निविदा की अनिवार्य अर्हताऐं ::

कंडिका	विवरण
01	निविदाकर्ता का कार्यालय (मुख्यालय अथवा कोई शाखा) जिले में होनी चाहिये।
02	फर्म / संस्था के कार्यालय का वैध स्थापना (गुमास्ता) पंजीयन होना अनिवार्य।
03	निविदाकर्ता के पास फर्म अथवा प्रोपरायटर का पैन कार्ड अनिवार्य होना चाहिये।
04	निविदाकर्ता के पास ईपीएफ का पजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिये।
05	निविदाकर्ता के पास ई.एस.आई.सी. का पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिये।
06	निविदाकर्ता के पास श्रम विभाग का वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र होना चाहिये।
07	निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी. का पंजीयन होना चाहिये।
08	1– निविदाकार्ता इस आशय का शपथ पत्र राशि रु.100.00 के नान ज्युडिशियल स्टांप पर विधिवत प्रमाणित किया गया प्रस्तुत करेगें कि फर्म के भागीदार या एक मात्र मालिक या कंपनी जैसा भी मामला हो को कभी भी ब्लैक–लिस्ट नही किया गया है और फर्म या कंपनी का नाम नही बदला गया है। 2– निविदाकार्ता इस आशय का शपथ पत्र राशि रु.100.00 के नान ज्युडिशियल स्टांप पर मूल रूप से नोटरी द्वारा विधिवत प्रस्तुत करेगें कि प्रमाणित किया गया फर्म या एक मात्र मालिक या कंपनी के भागीदारो के खिलाफ कोई पुलिस मामला / सतर्कता जांच लंबित नहीं है, जैसा भी मामला हो, और उसे कभी भी किसी माननीय न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है।
09	निविदाकार्ता को निविदा के साथ ई.एम.डी. राशि 100000 / – (रू. एक लाख मात्र) ऑनलाइन https://mptenders.gov.in पर प्रस्तुत करनी होगी जो ई–टेन्डर पोर्टल के माध्यम से वापस लौटा दी जावेगी एवं सफल निविदाकार से अनुबंध होने के उपरांत सफल निविदाकर्ता को अनुबंध के निष्पादन प्रतिभूति राशि 100000 / – (रू. एक लाख

	मात्र) डी.डी. के माध्यम सं संस्थान लेखा कक्ष में जमा करना होगी जो अनुबंध समाप्त होने पर बिना व्याज के वापस लौटा दी जावेगी ।
10	परिशिष्ट ''ब'' घोषणा–पत्र संलग्न करें।

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. 0755–2970310

::पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, अन्तर्गत 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय हेतु कलेक्टर दरों पर आउटसोर्स के माध्यम से सेवाऐं प्राप्त करने हेतु ऐजेंसी के चयन हेतु निविदा आमंत्रण ::

:: ई–निविदा की तकनीकी अर्हताऐं ::

कंडिका	विवरण
01	निविदाकार्ता के पास वित्तीय वर्ष 2019–20,2020–21एवं 2021–22 में शासकीय / अर्द्धशासकीय अथवा केन्द्र शासित संस्था में कुशल / अर्धकुशल अकुशल– कम्प्यूटर ऑपरेटर सर्पोट स्टाफ को उपलब्ध कराने का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
02	निविदाकर्ता के पास वित्तीय वर्ष 2019–20,2020–21एव 2021–22 में न्यूनतम राशि रू. 1,00,00,000 / – (रू. एक करोड मात्र) प्रति वर्ष के मान से टर्नओवर होना चाहिए:– 2.1 इस संबंध में अंकेक्षित वित्तीय अथवा अंकेक्षण न होने की स्थिति में परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न प्रारूप में सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2.2 आयकर रिटर्न (कम्प्युटेशन के साथ) वर्ष 2019–20 (असेसमेंट वर्ष 2020–21) एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 (असेसमेंट वर्ष 2021–22) वित्तीय वर्ष 2021–22 (असेसमेंट वर्ष 2022–23) छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। 2.3 निविदा दिनांक से कम से कम 01 वर्ष पहले श्रम विभाग से लेखा परीक्षण निरीक्षण रिर्पोट की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करना होगी। 2.4 पिछले 03 वर्षो के लिये श्रम विभाग रिटर्न (फार्म–XXIV) 2.5 श्रम कल्याण को जमा चालान पिछले 03 वर्ष के संलग्न करना होगा। 2.6 पिछले 03 वर्षो के ई.सी.आर. के साथ ई.पी.एफ. चालान प्रत्येक वर्ष मार्च माह का। 2.7 पिछले 03 वर्षो के ई.सी.आर. के साथ ई.एस.आई.सी. चालान प्रत्येक वर्ष मार्च माह का। 2.8 पिछले 01 वर्ष का जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति।

नोटः– निविदाकर्ता को उक्त दस्तावेज ई–निविदा मे संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभा ष क्र. 0755–2970310

::पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान अन्तर्गत 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय हेतु कलेक्टर दरों पर आउटसोर्स के माध्यम से सेवाऐं प्राप्त करने हेतु ऐजेंसी के चयन हेतु निविदा आमंत्रण ::

:: निविदा की शर्तें ::

1. निविदाकर्ता को संस्थान अन्तर्गत 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय /संबद्व चिकित्सालयों की व्यवस्था हेतु आदेशानुसार कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ (परिशिष्ट''अ''अनुसार) उपलब्ध कराने होगें। जिनकी संख्या प्रथम चरण में लगभग 47 तथा आवश्यकतानुसार घटाई एवं बढाई जा सकती है। निविदा की अवधि अनुबंध दिनांक से 01 बर्ष की होगी दोनो पक्षों की सहमति से उन्हीं दरो एवं समान शर्तो पर अनुबंध अवधि की आगामी बर्ष हेतु बढायी जा सकेगी जिसकी अधिकतम सीमा 05 बर्ष तक मान्य होगी। निविदा की शर्तो एवं दरों के साथ आयुष विभाग अंतर्गत अन्य शासकीय संस्थाऐं भी उक्तानुसार अनुबंधित फर्म से प्रथक–प्रथक अनुबंध कर सेवायें प्राप्त कर सकेंगी ।

2. 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय में सृजित परशिष्ट 'अ' अनुसार पदों पर नियुक्ति होने पर संबंधित आउटसोर्स सेवाऐं स्वमेव समाप्त हो जाएगी ।

3. सफल निविदाकार को राशि रु. 500.00 के नान ज्युडिशियल स्टांप पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा। साथ ही अनुबंधित फर्म को किसी अन्य ऐजेंसी को कार्य/कार्य का कोई भाग एवं दायित्वों को सोंपने की अनुमति नहीं होगी ।

4. सफल निविदाकर्ता/अनुबंधित ऐजेन्सी /फर्म/कंम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ का विधिवत पंजीयन अपने कार्यालय में करना होगा एवं कर्मचारियों की सूची बायोडाटा, फोटो, आधार कार्ड, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सहित अनुबंध के 10 दिवस में कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी एवं उपलब्ध कराये गये समस्त स्टाफ पर श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होगे।

5. सफल निविदाकर्ता/अनुबंधित ऐजेन्सी /फर्म/कंम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये एवं उनका व्यवहार सौम्य एवं मधुर होना चाहिये, कोई भी स्टाफ संदेहास्पद चरित्र का नहीं होना चाहिये। ऐसा पाये जाने पर उनकी सेवा समाप्त करना अनुबंधित ऐजंसी के लिये अनिवार्य होगा।

6. सफल निविदाकर्ता/अनुबंधित ऐजेन्सी /फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ को आदेशित स्थान पर कार्य करना होगा।

7. सफल निविदाकर्ता/अनुबंधित ऐजेन्सी /फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ को संस्थान एवं चिकित्सालय की विभिन्न शाखाओं में पदस्थ अधिकारियों द्वारा निर्देशित समस्त कार्य पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक करना होगें। शाखा की गोपनीयता भंग नहीं करेगे। ऐसा पाये जाने पर ऐजेंसी को तुरन्त ही सेवा समाप्त करनी होगी। साथ ही कर्मी की अनुपस्थिति में अन्य कर्मी की व्यवस्था करनी होगी ।

8. अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लगाये गये कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ की उपस्थिति का सत्यापित पत्रक भुगतान हेतु देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

9. अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा प्रत्येक माह निर्धारित कलेक्टर दर पर स्टाफ को दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार भुगतान ई पेमेन्ट के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाता में करना होगा। पारिश्रमिक हेतु पूर्ण माह गणना माह की 26 तारीख से 25 तारीख तक निहित होगी।

10. जिलाध्यक्ष द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी दर दिशा निर्देश का पालन अनुबंधित ऐजेंसी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

11. अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लगाये गये कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ के ईपीएफ कटोत्रा राशि (नियोक्ता/कर्मचारी) एवं ईएसआईसी कटोत्रा राशि (नियोक्ता) को एवं अन्य संबंधित कटोत्रा राशि को प्रति माह समयावधि में संबंधित कार्यालय में जमा कराने का दायित्व ऐजेन्सी का होगा, प्रत्येक माह के देयक के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति की सूची ई.एस.आई.सी/ईपीएफ नं. इसीआर कटोत्रा एवं बैंक खाता क्रं. मय कर्मचारियों के भुगतान के प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

12. अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लगाये गये कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ का वेतन भुगतान माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाना होगा, कार्यालय से भुगतान प्राप्त न होने पर अथवा बिलंव की स्थिति में कर्मचारियों का कार्य आधारित भुगतान करने का पूर्ण दायित्व निविदाकर्ता का होगा। शिकायत की स्थिति में राशि रु.500.00 प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड लगाया जावेगा जिसका वसूली अनुबधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयकों से की जावेगी

13. अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लगाये गये कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ को मासिक आधार पर कर्मचारियों के देयक की तीन प्रतियों में अंनुबंधित दर एवं अन्य करों सहित प्रत्येक माह की 03 तारीख (03कार्य दिवस) में कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा

13.1अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लगाये गऐ कुशल / अर्द्धकुशल /अकुशल/अतिकुशल –कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ संबधित ऐजेंन्सी के कर्मचारी होगें तथा उनके वेतन पारिश्रमिक का भुगतान ऐजेन्सी द्वारा किया जावेगा।

13.2 अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लगाये गऐ कुशल / अर्द्धकुशल/ अकुशल/ अतिकुशल –कम्प्यूटर ऑपरेटर/ सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ इस संस्थान से किसी भी तरह के लाभ/क्षतिपूर्ति/सेवाओं का नियमितीकरण की मांग नहीं करेगें। इस आशय का शपथ पत्र प्रत्येक कर्मी से प्राप्त कर अनुबंधित ऐजेन्सी को संस्थान मे प्रस्तुत करना होगा

13.3 अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लगाये गऐ कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ इस कार्यालय में निधारिंत स्थल एवं समय–सारणी अनुसार कार्य संपादित करेगें आवश्यक्तानुसार शनिवार, रबिवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनांक मे भी सेवाऐं प्रदान करेगे ।

14. अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लगाये गऐ कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ के वेतन अनुसार प्रतिमाह भविष्य निधि ई.एस.आई.सी.की कम जमा अथवा जमा नहीं किये जाने की शिकायत पाये जाने पर ऐजेन्सी को अपने स्तर पर निराकरण करना होगा, यदि ऐजेन्सी द्वारा निराकरण नहीं किया जाता है, तो ऐजेन्सी के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये अनुबंध समाप्त कर निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि राजसात कर ली जावेगी। तथा अगले न्यूनतम दर एल–2 निविदाकार से एल–1 की दरों पर कार्य करने हेतु अनुबंध किया जावेगा ।

15. अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लगाये गऐ कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ के दुर्घटना/बीमारी/चिकित्सा से संबंधित क्लेम एवं अन्य विवादों के निराकरण का सम्पूर्ण दायित्व निविदाकर्ता का होगा

16. अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लगाये गऐकुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल/अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर/सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ के जी.एस.टी. का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पृथक से देय होगा, सेवा शुल्क GST एवं Income Tax का कटोत्रा नियमानुसार किया जावेगा।

17. निविदाकर्ता द्वारा सेवा शुल्क राशि को No31/14/1000/2014-GA Govt of India, Ministry of Commerce & industry(GA-Section).Udyog Bhavan New Delhi Dated 17 th September 2014 के द्वारा परिशिष्ट 'ब' परिपत्र अनुसार ई–निविदा के वित्तीय निविदा पत्रक में सेवा शुल्क राशि अंकित करना होगा । यंदि अंकों एवं शब्दों में अंतर पाया जाता है,तो शब्दों में अंकित राशि को मान्य किया जावेगा **(निविदा के वित्तीय निविदा पत्रक (Financial Bid BOQ) मे सेवा शुल्क की राशि प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह के मान से अंकित करनी होगी)**

18. एक समान सेवा शुल्क दर की एक से अधिक निविदाये प्राप्त होने की स्थिति में सर्वप्रथम निविदाकार के ई–निविदा मे प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019–20,2020–21 एवं 2021–22 के वार्षिक टर्न ओवर के योग के आधार पर निर्णय लिया जावेगा । (प्रपत्र 'स' संलग्न करें)

18.1 वार्षिक टर्नओवर मे समानता पाये जाने पर निविदाकर्ता के द्वारा ई–निविदा मे प्रस्तुत वर्ष 2019–20,2020–21 एवं 2021–22 के वार्षिक कार्य अनुभव में उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की संख्या (कर्मचारियों की संख्या अधिक होगी) के योग के आधार पर निर्णय लिया जावेगा अर्थात ज्यादा कर्मचारी संख्या को वरीयता दी जावेगी।

(प्रपत्र 'द' भाग 01 एवं 02 संलग्न करें)

18.2 कर्मचारियों की संख्या मे समानता पाये जाने पर निविदाकर्ता के द्वारा ई–निविदा मे प्रस्तुत वर्ष 2019–20,2020–21 एवं 2021–22 के वार्षिक कार्य अनुभव एवं उपलब्ध कराये गये कर्मचारियो मे से चिकित्सा श्रेत्र मे कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या के योग को वरीयता प्रदान करते हुये पर निर्णय लिया जावेगा ।

(प्रपत्र 'द' भाग 03 संलग्न करें)

19. कलेक्टर दर पुनरीक्षित होने पर अनुबंधित ऐजेन्सी द्वारा लिखित आवेदन देने पर कार्यालय द्वारा सक्षम स्वीकृति /अनुमोदन उपरांत कलेक्टर दर पुनरीक्षित की जावेगी।

20. अनुबंधित ऐंजेन्सी द्वारा कार्यादेश अनुसार प्रशिक्षित कुशल/अर्धकुशल/अकुशल/कम्प्यूटर आपरेटर,सर्पोट स्टाफ एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध करवाने होगें, वे प्रशिक्षित नहीं पाये जाते एवं सौपा गया कार्य संपादित नहीं करना पाये जाने पर कोई चेतावनी पत्र जारी होता है तो उसका तत्काल निराकरण करना होगा । उक्त की पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध निष्फल मानते हुये अनुबंध के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी । तथा अगले न्यूनतम दर एल–2 फर्म से एल–1 की दरों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जावेगा

21. ई–निविदा मे प्रस्तुत समस्त अभिलेख की स्केन कापी सुस्पष्ट पठनीय होनी चाहिये दस्तावेज पठनीय नहीं होने पर किसी अभिलेख को अमान्य किया जाता है, तो इसकी संपूर्ण जबाबदेही निविदाकर्ता की होगी ।

22. सफल निविदाकार अनुबंध कराने से पूर्व ही अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है,अथवा अनुबध नही करता है, तो आदेश जारी नहीं किये जावेगें व ई.एम.डी.राशि को राजसात कर ली जावेगी। तथा अगले न्यूनतम दर एल–2 फर्म से एल–1 की दरों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जावेगा ।

23. निविदाकर्ता द्वारा ई–निविदा की अनिवार्य अर्हताऐं की कंडिका 8 (1–निविदाकर्ता इस आशय का शपथ पत्र राशि रु.100.00 के नान ज्युडिशियल स्टांप पर विधिवत प्रमाणित किया गया प्रस्तुत करेगें कि फर्म के भागीदार या एक मात्र मालिक या कंपनी जैसा भी मामला हो को कभी भी ब्लैक–लिस्ट नही किया गया है और फर्म या कंपनी का नाम नही बदला गया है। 2 निविदाकर्ता इस आशय का शपथ पत्र राशि रु.100.00 के नान ज्युडिशियल स्टांप पर मूल रूप से नोटरी द्वारा विधिवत प्रस्तुत करेगें कि प्रमाणित किया गया फर्म या एक मात्र मालिक या कंपनी के भागीदारो के खिलाफ कोई पुलिस

मामला/सतर्कता जांच लंबित नहीं है, जैसा भी मामला हो, और उसे कभी भी किसी माननीय न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है) अनुसार प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र गलत पाये जाते है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि को राजसात कर ली जावेगी। तथा अगले न्यूनतम दर एल–2 फर्म से एल–1 की दरों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जावेगा

24. प्राप्त निविदायें मान्य करने,अमान्य करने, निरस्त करने किसी शर्त को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा । किसी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान का निणर्य अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

25. अनुबंध अवधि से पूर्व भी प्रधानाचार्य पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान किसी नीतिगत निर्णय के कारण अनुबध समाप्त करना चाहेगें तो 01 माह पूर्व नोटिस जारी कर अनुबध समाप्त किया जा सकेगा जिसे ऐजेन्सी को स्वीकार करना होगा ।

26. वित्तीय अथवा प्रशासकीय कारणों से निर्मित किसी विवाद की स्थिति मे न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा ।

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. 0755–2970310

::पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, अन्तर्गत 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय हेतु कलेक्टर दरों पर आउटसोर्स के माध्यम से सेवाए प्राप्त करने हेतु ऐजेंसी के चयन हेतु निविदा आमंत्रण ::

(तकनीकी ई–निविदा प्रपत्र –01)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम---
2. फर्म के मालिक का नाम------------------------ पिता का नाम-------------
3 वर्तमान निवास का पता---
4 दूरभाष/मोबाईल नम्बर---

क0	अभिलेख का नाम	साक्ष्य
01	निविदाकर्ता का कार्यालय (मुख्यालय अथवा कोई शाखा) जिले में होनी चाहिये।	प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।
02	फर्म/संस्था का कार्यालय का वैध स्थापना (गुमास्ता) पंजीयन होना अनिवार्य।	गुमास्ते की छायाप्रति संलग्न करें
03	निविदा कर्ता के पास फर्म अथवा प्रोपारायटर का पैन नंम्बर का अनिवार्य होना चाहिये।	पैनकार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।
04	निविदाकर्ता के पास ईपीएफ का पजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिये।	प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।
05	निविदाकर्ता के पास ई.एस.आई.सी. का पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिये।	प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।
06	निविदाकर्ता के पास श्रम विभाग का वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र होना चाहिये।	प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।
07	निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी. का पंजीयन होना चाहिये।	जी.एस.टी.पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें ।
08	1– निविदाकार्ता इस आशय का शपथ पत्र राशि रु.100.00 का नान ज्युडिशियल स्टांप पर विधिवत प्रमाणित किया गया प्रस्तुत करेगें कि फर्म के भागीदार या एक मात्र मालिक या कंपनी जैसा भी मामला हो को कभी भी	शपथ पत्र की प्रति संलग्न करें ।

	ब्लैक–लिस्ट नही किया गया है और फर्म या कंपनी का नाम नही बदला गया है। 2– निविदाकार्ता इस आशय का शपथ पत्र राशि रु.100.00 का नान ज्युडिशियल स्टांप पर मूल रूप से नोटरी द्वारा विधिवत प्रस्तुत करेगें कि प्रमाणित किया गया फर्म या एक मात्र मालिक या कंपनी के भागीदारो के खिलाफ कोई पुलिस मामला/सतर्कता जांच लंबित नहीं है, जैसा भी मामला हो, और उसे कभी भी किसी माननीय न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है।	शपथ पत्र की प्रति संलग्न करें ।
09	निविदाकार्ता को निविदा के साथ ई.एम.डी. राशि 100000/– (रू. एक लाख मात्र) ऑनलाइन https://mptenders.gov.in पर प्रस्तुत करनी होगी ।	ई.एम.डी.की ई–जनरेट पावती संलग्न करें
10	परिशिष्ट "ब" घोषणा–पत्र संलग्न करें।	घोषणा–पत्र की प्रति मान्य होगी का लेख कर सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।
11	निविदाकार्ता के पास वित्तीय वर्ष 2019–20,2020–21एव 2021–22 में शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा केन्द्र शासित संस्था में कुशल/अर्धकुशल/अकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर सर्पोट स्टाफ को उपलब्ध कराने का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	साक्ष्य के रुप मे प्रपत्र (द) भाग–01 भाग–02 एवं भाग –03 की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।
12 12.1 12.2	निविदाकर्ता के पास वित्तीय वर्ष 2019–20,2020–21एव 2021–22 में न्यूनतम राशि रू. 1,00,00,000/– (रू. एक करोड लाख मात्र) प्रतिवर्ष के मान से टर्नओवर होना चाहिएः– इस संबंध में अंकेक्षित वित्तीय अथवा अंकेक्षण न होने की स्थिति में परिशिष्ट "स" पर संलग्न प्रारूप में सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(छायाप्रति संलग्न करें)** आयकर रिटर्न (कम्प्युटेशन के साथ) वर्ष 2019–20 (असेसमेंट वर्ष 2020–21) एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 (असेसमेंट वर्ष 2021–22) वित्तीय वर्ष 2021–22 (असेसमेंट वर्ष 2022–23) छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।**(छायाप्रति संलग्न करें)**	आयकर विवरणी की प्रति,बैलेस शीट,लाभ–हानि पत्रक की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें । **(चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वार प्रमाणित)**

12.3	निविदा दिनांक से कम से कम 01 वर्ष पहले श्रम विभाग से लेखा परीक्षित निरीक्षण रिर्पोट की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करना होगी।	श्रम विभाग से लेखा परीक्षित निरीक्षण रिर्पोट की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
12.4	पिछले 03 वर्ष के श्रम विभाग रिटर्न (फार्म–XXIV)	रिटर्न की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
12.5	श्रम कल्याण कोष में जमा चालान पिछले 03 वर्षो के संलग्न करना होगा।	चालान (पिछले 03 वर्षो के) की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
12.6	पिछले 03 वर्षो के ई.सी.आर. के साथ ई.पी.एफ. चालान प्रत्येक वर्ष मार्च माह का।	पिछले 03 वर्षो के ई.सी.आर. के साथ ई.पी.एफ. चालान प्रत्येक वर्ष मार्च माह की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
12.7	पिछले 03 वर्षो के ई.सी.आर. के साथ ई. एसआईसी चालान प्रत्येक वर्ष मार्च माह का।	पिछले 03 वर्षो के ई.सी.आर. के साथ ई.एसआईसी चालान प्रत्येक वर्ष मार्च माह की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
12.8	पिछले 01 वर्ष का जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति।	पिछले 01 वर्ष का जी.एस.टी. रिटर्न की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम————————————

फर्म/ऐजेन्सी की मुद्रा

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभा ष क्रं. 0755–2970310

::पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, अन्तर्गत 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय हेतु कलेक्टर दरों पर आउटसोर्स के माध्यम से सेवाए प्राप्त करने हेतु ऐजेंसी के चयन हेतु निविदा आमंत्रण ::

:: ई–वित्तीय निविदा प्रपत्र –02::

	सेवा शुल्क प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के मान से रुपयों में	
विवरण	अंकों में	शब्दों में
कुशल / अर्द्धकुशल / अकुशल / अतिकुशल–कम्प्यूटर ऑपरेटर / सर्पोट स्टाफ व अन्य समकक्ष स्टाफ (परिशिष्ट''अ''अनुसार) आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु सेवा शुल्क		

पदों की सूची

परिशिष्ट (अ)

क्रं.	श्रेणी	पद नाम	क्रं.	श्रेणी	पद नाम
1	तृतीय श्रेणी	फिजियोथैरेपिस्ट	26	तृतीय श्रेणी	ओ.टी. टेक्नीशियन
2	तृतीय श्रेणी	स्टोर कीपर	27	तृतीय श्रेणी	ड्रेसर
3	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड–3	28	तृतीय श्रेणी	कम्प्यूटर ऑपरेटर सह असिस्टेन्ट
4	तृतीय श्रेणी	लेब टेक्नीशियन	29	तृतीय श्रेणी	डार्करूम अटेन्डेन्ट
5	तृतीय श्रेणी	म्यूजियम कीपर	30	तृतीय श्रेणी	लैब असिस्टेन्ट
6	तृतीय श्रेणी	मशीन ऑपरेटर	31	तृतीय श्रेणी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
7	तृतीय श्रेणी	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	32	तृतीय श्रेणी	फोन ऑपरेटर सह स्वागती
8	तृतीय श्रेणी	उद्यान अधीक्षक	33	तृतीय श्रेणी	कम्पाउण्डर
9	तृतीय श्रेणी	कनिष्ट यंत्री	34	तृतीय श्रेणी	वाहन चालक (कलेक्टर रेट)
10	तृतीय श्रेणी	पम्प मैकेनिक	35	तृतीय श्रेणी	लाईब्रेरी अटेन्डेन्ट
11	तृतीय श्रेणी	सहायक लाईब्रेरियन	36	चतुर्थ श्रेणी	लैब अटेन्डेन्ट
12	तृतीय श्रेणी	एनिमल फीडर	37	चतुर्थ श्रेणी	अटेन्डेन्ट (प्रत्येक अकादमिक विभाग के लिए)
13	तृतीय श्रेणी	फोटोग्राफर	38	चतुर्थ श्रेणी	ओ.पी.डी. अटेन्डेन्ट
14	तृतीय श्रेणी	आर्टिस्ट	39	चतुर्थ श्रेणी	ओ.टी. अटेन्डेन्ट
15	तृतीय श्रेणी	क्षारसूत्र टेक्नीशियन	40	चतुर्थ श्रेणी	लेबर रूम अटेन्डेन्ट
16	तृतीय श्रेणी	मेट्रन	41	चतुर्थ श्रेणी	माली
17	तृतीय श्रेणी	असिस्टेन्ट मेट्रन	42	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य / चौकीदार / फर्राश
18	तृतीय श्रेणी	स्टाफ नर्स	43	चतुर्थ श्रेणी	चौकीदार
19	तृतीय श्रेणी	पंचकर्म टेक्नीशियन	44	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य
20	तृतीय श्रेणी	रिफ्लेक्शनिस्ट	45	चतुर्थ श्रेणी	स्वच्छक
21	तृतीय श्रेणी	ऑडियोमिट्रिस्ट	45	चतुर्थ श्रेणी	मिडवाईफ / वार्डबॉय / आया
22	तृतीय श्रेणी	फार्मासिस्ट	46	चतुर्थ श्रेणी	लिफ्टमेन
23	तृतीय श्रेणी	पंचकर्म असिस्टेन्ट	47	चतुर्थ श्रेणी	बॉडीलिफ्टर
24	तृतीय श्रेणी	भैष्जय कल्पक	48	चतुर्थ श्रेणी	अंशकालीन स्वच्छक
25	तृतीय श्रेणी	एक्स–रे टेक्नीशियन	49	चतुर्थ श्रेणी	क्लीनर

नोटः–उपरोक्त पदों की योग्यता सेवा भर्ती नियमों के अनुसार होगी

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

परिशिष्ट 'ख'

परिशिष्ट 'ख'

No.3/12/14/1000/2014-GA
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
(GA Section)
*****

Udyog Bhavan, New Delhi
Dated 17th September, 2014.

QUOTATION OF SERVICE CHARGES IN CONTRACTS / TENDERS

Subject: - Contract for hiring the services of an agency of quotations – regarding. -

Department of Commerce upholding ministry of Finance, Department of Expenditure, ruling on the subject issues directives that quotations offered over and above the minimum wages of the Central / State Government (as applicable) pertaining to Service Charges / Administrative Charges quoted by the bidder necessarily has to be over and above zero percent. Further, zero percent includes all derivatives of zero upto 0.9999 and thereof. Any Service Charge not adhering to the above guidelines should be considered unresponsive and such bid should not be considered.

(Manoj Kumar)
Section Officer (GA)

Copy to:-

1. Technical Director, NIC Department of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi.
2. All Ministries/Department of Govt. of India. They are requested to give this circular wide publicity amongst all the vendors, if any, already registered with them.

MANOJ K
Section Officer
Ministry of Commerce
Deptt. of Commerce
Udyog Bhawan

परिशिष्ट (स)

ANNUAL TURN OVER STATEMENT

(This certificate has to be issued by the concerned Chartered Accountant on his letter head only)

ANNUAL TURN OVER STATEMENT

The Annual Turnover of M/s---for the past three year given below and certified that the statement is true and correct.

Sl.No.	Financial Year	Turnover (Amount in INR)
01	2019-20	
02	2020-21	
03	2021-22	

Total -INR

Average turnover per annum -INR

The above information is correct and true and verified from the audited final accounts

Signature of Auditor

(C.A. Name In Capital latter)

Membership No

निविदाकर्ता फर्म/ऐजेन्सी में कार्यरत कर्मियों की जानकारी

परिशिष्ट (द) भाग 01

क्र0	कर्मचारी का नाम	पद नाम	योग्यता	इम्पलाई कोड	ई.एस. आई. नम्बर	पी.एफ. नम्बर	अनुभव (वर्षो में)
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					योगः–		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम————————

फर्म/ऐजेन्सी की मुद्रा

परिशिष्ट (द) भाग 02

स0क0	शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा केन्द्र शासित संस्था (विगत 3 बर्षो) विभागों के नाम जिन्हे फर्म द्वारा सेवाये दी गयी	कार्यआदेश कमांक दिनांक	कर्मियों की संख्या	संलग्न प्रमाण पत्र पेज कर्मांक जिस पर निविदा के अभिलेखो के साथ संलग्न किया है ।
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
		योगः–		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम————————

फर्म/ऐजेन्सी की मुद्रा

परिशिष्ट (द) भाग –03

कमांक	चिकित्सा श्रेत्र में शासकीय/अर्द्वशासकीय अथवा केन्द्र शासित संस्था (विगत 3 बर्षो) विभागों के नाम जिन्हें फर्म द्वारा सेवाये दी गयी	कार्यआदेश कमांक दिनांक	कर्मियों की संख्या	संलग्न प्रमाण पत्र पेज कमॉक जिस पर निविदा के अभिलेखो के साथ संलग्न किया है ।
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
		योगः–		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम————————

फर्म/ऐजेन्सी की मुद्रा

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
Web: www.klsgaci.edu.in E.mail: principal@klsgaci.nic.in दूरभाष क्रं. 0755–2970310

::पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, अन्तर्गत 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय हेतु कलेक्टर दरों पर आउटसोर्स के माध्यम से सेवाए प्राप्त करने हेतु ऐजेंसी के चयन हेतु निविदा आमंत्रण ::

(चैक लिस्ट)

कंडिका	अभिलेख का नाम	हॉ/नही	संलग्न अभिलेख का पृष्ठ कर्मांक
01	निविदाकर्ता का कार्यालय (मुख्यालय अथवा कोई शाखा) जिले में होनी चाहिये। (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		
02	फर्म/संस्था का कार्यालय का वैध स्थापना (गुमास्ता) पंजीयन होना अनिवार्य। (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		
03	निविदाकर्ता के पास फर्म अथवा प्रोपरायटर का पैन का अनिवार्य होना चाहिये। (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		
04	निविदाकर्ता के पास ईपीएफ का पजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिये। (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		
05	निविदाकर्ता के पास ई.एस.आई.सी. का पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिये। (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		
06	निविदाकर्ता के पास श्रम विभाग का वैध का पंजीयन प्रमाण–पत्र होना चाहिये। (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		
07	निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी. का पंजीयन होना चाहिये। (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)		

08	1– निविदाकर्ता इस आशय का शपथ पत्र राशि रु.100.00 का नान ज्युडिशियल स्टांप पर विधिवत प्रमाणित किया गया प्रस्तुत करेगें कि फर्म के भागीदार या एक मात्र मालिक या कंपनी जैसा भी मामला हो को कभी भी ब्लैक–लिस्ट नही किया गया है और फर्म या कंपनी का नाम नही बदला गया है।(शपथ पत्र संलग्न करें) 2– निविदाकर्ता इस आशय का शपथ पत्र राशि रु.100.00 का नान ज्युडिशियल स्टांप पर मूल रूप से नोटरी द्वारा विधिवत प्रस्तुत करेगें कि प्रमाणित किया गया फर्म या एक मात्र मालिक या कंपनी के भागीदारो के खिलाफ कोई पुलिस मामला/सतर्कता जांच लंबित नहीं है, जैसा भी मामला हो, और उसे कभी भी किसी माननीय न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है।(शपथ पत्र संलग्न करें)		
09	निविदाकर्ता को निविदा के साथ ई.एम.डी. राशि 100000/– (रू. एक लाख मात्र) ऑनलाइन https://mptenders.gov.in पर प्रस्तुत करनी होगी (ई.एम.डी.की ई–जनरेट पावती संलग्न करें)		
10	परिशिष्ट ''ब'' घोषणा–पत्र संलग्न करें।		
11	निविदाकर्ता के पास वित्तीय वर्ष 2019–20,2020–21एवं 2021–22 में शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा केन्द्र शासित संस्था में कुशल/अर्धकुशल/अकुशल– कम्प्यूटर ऑपरेटर सर्पोट स्टाफ को उपलब्ध कराने का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। (छायाप्रति संलग्न करें) प्रपत्र द भाग –01,–2 एवं –03		
12	निविदाकर्ता के पास वित्तीय वर्ष 2019–20,2020–21एव 2021–22 में न्यूनतम राशि रू. 1,00,00,000/– (रू. एक करोड लाख मात्र) प्रतिवर्ष के मान से टर्नओवर होना चाहिए:–		
12.1	इस संबंध में अंकेक्षित वित्तीय अथवा अंकेक्षण न होने की स्थिति में परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न प्रारूप में सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(छायाप्रति संलग्न करें)**		
12.2	आयकर रिटर्न (कम्प्युटेशन के साथ) वर्ष 2019–20 (असेसमेंट वर्ष 2020–21) एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 (असेसमेंट वर्ष 2021–22) वित्तीय वर्ष 2021–22 (असेसमेंट वर्ष 2022–23) छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।(**छायाप्रति संलग्न करें**)		

12.3	निविदा दिनांक से कम से कम 01 वर्ष पहले श्रम विभाग से लेखा परीक्षत निरीक्षण रिर्पोट की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करना होगी।(**छायाप्रति संलग्न करें**)		
12.4	पिछले 03 वर्ष के लिये श्रम विभाग रिटर्न (फार्म–XXIV)		
12.5	श्रम कल्याण कोष में जमा चालान पिछले 03 वर्षो के संलग्न करना होगा।(**छायाप्रति संलग्न करें**)		
12.6	पिछले 03 वर्षो के ई.सी.आर. के साथ ई.पी.एफ. चालान प्रत्येक वर्ष मार्च माह का। (**छायाप्रति संलग्न करें**)		
12.7	पिछले 03 वर्षो के ई.सी.आर. के साथ ई.एसआईसी चालान प्रत्येक वर्ष मार्च माह का।(**छायाप्रति संलग्न करें**)		
12.8	पिछले 01 वर्ष का जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति।(**छायाप्रति संलग्न करें**)		

प्रमाणित किया जाता कि ई–निविदा शर्ते पढने एवं समझने के पश्चात ही निविदा की आर्हताऐं कंडिकाओं को मै पूर्ण करता हूँ। मेरे/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पूर्ण रुपेण सत्य है । इमसें किसी प्रकार की त्रुटि/लापरवाही /गलती/ जानकारी छिपाने अथवा संम्बधित दस्तावेजो के ई–निविदा में संलग्न न करने पर निविदा अमान्य अथवा निरस्त की जाती है तो इसके लिये मै/संस्था जिम्मेदार होगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
निविदाकर्ता का नाम——————————
फर्म/ऐजेन्सी की मुद्रा